

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

सं०सं०-०२ / परी०-०९(को०प्र०)-०१ / २०१९-

शुद्धि-पत्र

पर्षदीय पत्रांक-१४०३ दिनांक ३१.०७.१९ के क्रमांक -१२ पर अंकित विवरणानुसार डॉ० आलोक राजन, ट्यूटर एफ एम टी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-१६३६ दिनांक-०६.०८.२०१९ द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र में अनुरोध किया गया है कि उनके पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र में टंकण भूलवश “डॉ० आलोक राजन” के स्थान पर “डॉ० आलोक रंजन” अंकित हो गया था जिसे “डॉ० आलोक राजन” पढ़ा जाय।

उक्त के आलोक में पर्षदीय पत्रांक-१४०३ दिनांक-३१.०७.२०१९ द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के क्रमांक-१२ पर पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता कॉलम के अन्तर्गत “डॉ० आलोक रंजन” के स्थान पर “डॉ० आलोक राजन” पढ़ा जाय। शेष विवरण यथावत् रहेंगे।

ह०/-

अवर सचिव

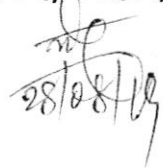
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-०२ / परी०-०९(को०प्र०)-०१ / २०१९-१६३९ पटना, दिनांक:- २८-०८-२०१९
प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना /अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं डॉ० आलोक राजन, ट्यूटर एफ एम टी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।


२८/०८/१९